

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2024

जयपुर, दिनांक :

आदेश

मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी. बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 405/2024 में पारित निर्णय दिनांक 04.04.2024 की पालना में निम्न अधिकारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान
1	डा. दिलीप सिंह चौधरी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	मा. न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भोपालगढ, जोधपुर ग्रामीण के पद पर कार्यरत	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बावडी, जोधपुर ग्रामीण में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद पर

डा. चौधरी को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)डीओपी/ए-2/86 दिनांक 08.02.2013 के डीएसीपी नियमों में प्रावधान है कि "if there is no vacancy for granting DACP available, The post held by the candidate shall be converted into the post on which the candidate is to be promoted till he/she will hold that post". कार्मिक विभाग की उक्त अधिसूचना की पालना में उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रीति माथुर)
संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग एवं पंचायती
राज (चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राज.
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
6. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
7. संबंधित अधिकारी
8. कम्प्यूटर सेल

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
7679099